क्रम-संख्या—94

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 11 अप्रैल, 2018

चैत्र 21, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 813 / 79-वि-1—18-1(क)9-2018
लखनऊ, 11 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (घ–1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(घ–2) मण्डी स्थल के सम्बन्ध में "शीतगृह" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उप स्थल के रूप में घोषित शीतगृह से है।"

(ख) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(ज–1) "निदेशक, कृषि विपणन" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निदेशक, कृषि विपणन के रूप में नियुक्त अधिकारी से है, जो इस अधिनियम के अधीन निदेशक, कृषि विपणन की शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करेगा ;

(ज–1क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में "सीधा विपणन" का तात्पर्य, प्रधान मण्डी स्थल, उप.मण्डी स्थल, निजी मण्डी स्थल एवं मण्डी उप.स्थल के बाहर प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों, क्रेताओं आदि के द्वारा कृषकों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सीधा थोक क्रय से है ;

(ज–1ख) "कृषक उत्पादक संगठन"(एफ0पी0ओ0) का तात्पर्य ऐसे कृषक–संगम से है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी भी नाम/प्रारूप में अभिहित किया जाता हो/विद्यमान हो एवं रजिस्ट्रीकृत हो। जो कृषकों को गतिशील करने और उनके उत्पादन तथा विपणन शक्ति की सामूहिक उत्तोलन क्षमता का सृजन करता है।"

(ग) खण्ड (ट–1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ट–2) मण्डी उप.स्थल का तात्पर्य भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान से है, जो इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उप.स्थल के रूप में घोषित किया गया हो।"

(घ) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ड–1) 'व्यक्ति' के अन्तर्गत व्यक्ति, कोई सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, निगमित अथवा अनिगमित कोई कम्पनी या फर्म या व्यक्ति–संगम या निकाय सम्मिलित है।"

(ङ) खण्ड (ण–1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(ण–2) 'निजी मण्डी स्थल' का तात्पर्य मण्डी क्षेत्र में प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल और मण्डी उप–स्थल से भिन्न ऐसे स्थान से है, जहाँ इस अधिनियम के अधीन उक्त प्रयोजन के लिए कृषि उत्पाद के विपणन और लाइसेंस धारण करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अवसंरचना विकसित की गयी हो और उसका प्रबन्ध किया गया हो ;

(ण–3) कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में 'प्रसंस्करणकर्ता' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो स्वयं की ओर से या प्रभार के संदाय पर किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण का दायित्व ग्रहण करता हो।"

(च) खण्ड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(ध–1) 'साइलो' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उप.स्थल के रूप में घोषित साइलो से है;

(ध–2) 'विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–ग के अधीन यथाअधिसूचित किसी मण्डी स्थल से है।"

(छ) खण्ड (न) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(न–1) 'राज्य' का तात्पर्य भारत का संविधान की प्रथम अनुसूची मे यथा विनिर्दिष्ट किसी राज्य से है।"

(ज) खण्ड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(कक–1) मण्डी स्थल के सम्बन्ध में 'भाण्डागार' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उप–स्थल के रूप में घोषित भाण्डागार से है।"

3–मूल अधिनियम की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:– नई धारा 2–क का बढ़ाया जाना

"2–क–कृषक/उत्पादक अपना उत्पाद अपनी इच्छानुसार इस राज्य में या उसके बाहर कहीं भी बेच सकता है : कृषक/उत्पादक को विपणन स्वतंत्रता

प्रतिबन्ध यह है कि थोक संव्यवहार के लिए कृषक–विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क संग्रहीत नहीं किया जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जाएगा, जहाँ ऐसा विक्रय उपभोक्ता को कृषक या उत्पादक द्वारा सीधे उसके घरेलू उपभोग के लिए किया जाय।"

4–मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:– धारा 7 का संशोधन.

"(ख) घोषित कर सकती है कि किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद में से सभी या किसी का थोक संव्यवहार उसके प्रधान मण्डी स्थल या उप–मण्डी स्थलों के भीतर केवल किसी विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मण्डी क्षेत्र में स्थित निजी मण्डी स्थलों तथा प्रधान मण्डी स्थल, उप–मण्डी स्थलों, निजी मण्डी स्थलों या मण्डी उप–स्थलों के बाहर के संग्रह/एकत्रीकरण केन्द्रों के मामले में इस खण्ड के उपबंध का कोई प्रभाव नहीं होगा।"

5–मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:– नई धारायें 7–क, 7–ख, 7–ग और 7–घ का बढ़ाया जाना

"7–क(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या यथाविहित अवसंरचना एवं सुविधाओं सहित संरचना या स्थान को मण्डी उप–स्थल के रूप में कार्य करने हेतु घोषित कर सकती है : भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थानों को मण्डी उप–स्थल के रूप में घोषित किया जाना

प्रतिबन्ध यह है कि किसी फुटकर व्यापारिक स्थान को मण्डी उप–स्थल घोषित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:–इस उपधारा में उल्लिखित पद 'स्थान' के अन्तर्गत भाण्डागार/साइलो/ शीतगृह/पैकहाउस/सफाईकरण, श्रेणीकरण और प्रसंस्करण इकाई आदि सहित कोई संरचना, घेरा, खुला स्थान, मोहल्ला, पथ सम्मिलित हैं।

(2) यथास्थिति ऐसे किसी भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या 'स्थान' का स्वामी, जो ऐसे स्थानों को उपधारा (1) के अधीन मण्डी उप–स्थल के रूप में घोषित किये जाने का इच्छुक हो, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति से, और ऐसी अवधि किन्तु जो तीन वर्ष से कम न हो, के लिए ऐसे शुल्क के साथ, जैसाकि विहित किया जाय, के रूप में आवेदन करेगा।

(3) ऐसे भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान के स्वामी को उस मण्डी क्षेत्र की सम्बन्धित मण्डी समिति से लाइसेंस लेना होगा और घोषित मण्डी उप–स्थल पर सव्यवहृत किये गये अधिसूचित कृषि उत्पाद पर मूल्यानुसार दर से लागू मण्डी शुल्क का भुगतान करना होगा और मण्डी समिति को ऐसे मण्डी शुल्क का अभिदान करना होगा .

प्रतिबन्ध यह है कि, कृषक–विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क संग्रहीत नहीं किया जायेगा।

सीधा विपणन (कृषकों से मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, निजी मण्डी स्थल से बाहर एकमुश्त सीधा थोक क्रय)

7-ख (1) ऐसी युक्तियुक्त शर्तों और ऐसे शुल्क, जैसाकि विहित किये जांय, के अध्यधीन निदेशक, कृषि विपणन, अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन के लिए इस अधिनियम एवं तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसार यथाविहित अवसंरचना सहित उत्पादन क्षेत्र के निकट संग्रह/ एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित करने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्थायी संग्रह/एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित किये बिना, थोक क्रय स्थल घोषित करते हुए, प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थलों, मण्डी उपस्थलों, निजी मण्डी स्थलों के बाहर यथाविहित रूप में सीधा थोक क्रय किया जा सकता है।

(2) सीधा विपणन लाइसेंसधारी को दैनिक व्यापारिक संव्यवहारों से सम्बन्धित अभिलेख और समस्त लेखाओं को अनुरक्षित करना होगा और लाइसेंस प्राधिकारी को यथाविहित रूप में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

(3) लाइसेंस प्राधिकारी, सीधा विपणन लाइसेंसधारी से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सूचना माँग सकता है और ऐसे थोक क्रयों एवं उससे आनुषंगिक क्रिया-कलापों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निरीक्षण कर सकता है और निदेश जारी कर सकता है।

(4) सीधा विपणन लाइसेंसधारी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विक्रय के संव्यवहार पर परिषद द्वारा अनुरक्षित 'उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि' को मण्डी शुल्क का भुगतान करेगा।

विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल की स्थापना और अधिसूचना

7-ग(1) जहाँ राज्य सरकार, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे वहाँ वह किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में सभी या किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के निमित्त अधिसूचना द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन स्थापित विद्यमान मण्डी स्थल को 'विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल' घोषित कर सकती है या किसी नये मण्डी स्थल को 'विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल' अधिसूचित कर सकती है।

(2) इस अधिनियम में मण्डी समिति के लिए और तत्सम्बन्ध में किये गये उपबन्ध, विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल के लिए स्थापित मण्डी समिति पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

निजी मण्डी स्थल की स्थापना

7-घ (1) ऐसी युक्तियुक्त शर्तों और ऐसे शुल्क, जैसा कि विहित किये जायें, के अध्यधीन निदेशक, कृषि विपणन यथाविहित रूप में कृषि उत्पाद के व्यापार के लिए निजी मण्डी स्थल स्थापित करने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेन्स प्रदान कर सकता है।

(2) निजी मण्डी स्थल लाइसेन्सधारी, या उसकी प्रबन्ध समिति, निज़ी मण्डी स्थल में संव्यवहृत अधिसूचित कृषि उत्पादों पर मूल्यानुसार दर से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, उपयोक्ता प्रभार संग्रहीत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई उपयोक्ता प्रभार, कृषक-विक्रेता से संग्रहीत नहीं किया जायेगा।

(3) निजी मण्डी स्थल लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स शुल्क और एक चौथाई संग्रह उपयोक्ता प्रभार का अभिदान, निदेशक, कृषि विपणन द्वारा अनुरक्षित और प्रचालित किसी पृथक निधि में करेगा। निदेशक, कृषि विपणन निधि का उपयोग, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और ऐसे अन्य क्रिया-कलापों, जो राज्य में दक्ष विपणन प्रणाली सृजित करने में सहायक होंगे, में करेगा।"

धारा 9 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 9 में उपधारा (1) में, विद्यमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

"प्रतिबन्ध यह है कि कृषकों से सीधा क्रय किये जाने के निमित्त उत्पादन क्षेत्र के समीप संग्रह/एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित किये जाने एवं निजी मण्डी स्थल के मामले में, निदेशक, कृषि विपणन उक्त मण्डी क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राधिकारी होगा।"

7—मूल अधिनियम की धारा—9क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:— धारा 9क का संशोधन.

"9—क(1) कोई मण्डी समिति कृषकों एवं व्यापारियों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए, यथाविहित रीति में, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एकीकृत लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है:—

(क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण;

(ख) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का व्यापार;

(ग) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करके अन्य रीति से ग्रेडिंग, पैकिंग और सौदा।

(2) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित मण्डी शुल्क और विकास उपकर उस मण्डी समिति को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय और विक्रय पर संदेय होगा, जहाँ विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का वास्तव में संव्यवहार हुआ हो।"

8—मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:— धारा 13 का संशोधन.

"13(1) धारा 12 में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से नाम—निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसी विहित की जाय:—

(क) मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों के नौ प्रतिनिधि;

(ख) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स धारण करने वाले व्यापारियों के दो प्रतिनिधि;

(ग) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स धारण करने वाले आढ़तियों के दो प्रतिनिधि;

(घ) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स धारण करने वाले पल्लेदार और मापक के दो प्रतिनिधि;

(ङ) मण्डी समिति का सचिव, जो सदस्य सचिव होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड(क) में निर्दिष्ट सदस्य, जिन्होनें मण्डी स्थलों में अधिसूचित कृषि उत्पाद का विक्रय किया हो और प्रपत्र 6 में विगत 3 वर्षों से ऐसे विक्रय बाउचर समिति से प्राप्त किया हो, जिनका मूल्य संचयी रूप से अधिकतम हो, नाम निर्देशन के लिए अर्ह होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि नौ उत्पादक सदस्यों में से तीन सदस्य सीमांत कृषकों से, तीन सदस्य लघु कृषकों से और तीन सदस्य बड़े कृषकों से होंगे।

(3) प्रत्येक मण्डी समिति में एक सभापति और एक उप सभापति होगा, जो उपधारा (1) के खण्डों (क से घ) में निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किये जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति और उप सभापति, उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सदस्य होंगे।

(4) (क) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति का कार्यकाल, समिति के गठन के प्रकाशन के दिनांक से तीन वर्ष होगा, यदि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये।

(ख) सभापति, उप सभापति और सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन नाम—निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम, उसके नाम—निर्देशन के 21 दिन के भीतर निदेशक को रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

(6) समिति द्वारा या उसकी ओर से कृत किसी कार्यवाही या कार्य पर इस आधार पर कि समिति के सभापति, उप सभापति या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम—निर्देशन में किसी अर्हता के अभाव या किसी त्रुटि के आधार पर या समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी अन्य त्रुटि के आधार पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जायेगा।"

धारा 17 का संशोधन.

9—मूल अधिनियम की धारा 17 में, खण्ड (3) में उपखण्ड (ख) में:—

शब्द ''ढाई प्रतिशत से अधिक न हो,'' के स्थान पर शब्द ''दो प्रतिशत से अधिक न हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन.

10—मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा(5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

''(5) प्रत्येक समिति वित्तीय वर्ष में धारा 17 के खण्ड 5 के अधीन जुटाई गयी धनराशि, विकास सेस के रूप में वसूल की गयी धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों में से केवल पचास प्रतिशत अथवा दस करोड़ रूपयें जो भी कम हो, रखकर शेष धनराशि परिषद को अंशदान के रूप में अन्तरित करेगी।''

नई धारा 33—ग, 33—घ, 33—ड. और 33—च का बढ़ाया जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 33.ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

निजी मण्डी स्थल के लिए लाईसेन्स प्रदान/नवीकरण किया जाना

''33—ग (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 7.घ के अधीन निजी मण्डी स्थल स्थापित करना चाहता हो, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यथास्थिति ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि जो तीन वर्ष से कम न हो, जैसा कि विहित किया जाय, के लिए लाइसेन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) निजी मण्डी स्थल के लिए यथास्थिति लाइसेन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवदेन पत्र के साथ यथाविहित युक्तियुक्त लाइसेन्स शुल्क और प्रतिभूति/बैंक प्रत्याभूति संलग्न होंगे।

(3) लाइसेन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्राप्त आवदेन पत्र पर निम्नलिखित शर्त (शर्तों) पर अस्वीकृत किये जाने योग्य होगा;—

(क) यह कि, आवेदक अवयस्क है, जो अभिरक्षक के अधीन नहीं है या वास्तविक नहीं है;

(ख) यह कि, आवेदक उक्त अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली और उपविधियों के अधीन व्यतिक्रमी घोषित कर दिया गया है :

(ग) यह कि, मण्डी समिति और/या परिषद और/या विभाग/कृषि विपणन निदेशालय से सम्बन्धित कोई देय आवेदक के विरुद्व अवशिष्ट नहीं है;

(घ) यह कि, सम्बन्धित प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि आवेदक किसी निजी मण्डी स्थल की स्थापना के लिए विनिधान या किन्हीं अन्य अपेक्षाओं, जैसा कि विहित किया जाय, के लिए अवसंरचना, प्रत्यय पत्र, अनुभव या पर्याप्त पूँजी धारित नहीं करता है; और/या

(ड.) ऐसे कोई अन्य कारण, जो विहित किये जायें।

(4) इस धारा के अधीन स्वीकृत या नवीकृत लाइसेन्स यथाविहित निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन होगा, और लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स की यथाविहित निबन्धन और शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। लाइसेन्सधारी को इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का भी अनुपालन करना होगा।

''धारा 33—ग के अधीन स्वीकृत/नवीकृत लाइसेन्स का निलम्बन या रद्दीकरण''

33—घ (1) धारा 33—ग के उपबन्धों के अध्यधीन, लाइसेन्स प्राधिकारी, यथास्थिति, लाइसेन्स को निलम्बित कर सकता है अथवा लाइसेन्सधारक को लिखित रूप में संसूचित किये जाने वाले कारणों से और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करके उसे रद्द कर सकता है, यदि;

(क) लाइसेन्स जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट के माध्यम से प्राप्त किया गया हो; और/या

(ख) लाइसेन्सधारक या उसका प्रतिनिधि या उसकी ओर से उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति किसी नियमावली, विनियमावली और लाइसेन्स के निबन्धन या शर्तों का उल्लंघन करता है; और/या

(ग) लाइसेन्सधारक स्वयं या अन्य लाइसेन्सधारक के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन में जानबूझकर व्यवधान डालने, उसे निलम्बित रखने या रोकने के आशय से मण्डी क्षेत्र में कोई कार्य कारित करता है या अपने सामान्य कारबार करने से प्रविरत रहता है; और/या

(घ) लाइसेन्सधारक दिवालिया हो गया हो; और/या

(ड.) लाइसेन्सधारक ऐसी कोई अनर्हता उपगत करता है, जैसा कि विहित किया जाय; और/या

(च) लाइसेन्सधारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष हो।

(2) कोई लाइसेन्स, इस धारा के अधीन उसके धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना रद्द नहीं किया जायेगा।

(3) धारा 33–घ के उपबन्धों के अध्यधीन, लाइसेन्स प्राधिकारी आख्यापक आदेश द्वारा लाइसेन्सधारक को धारा 33–ग के अधीन प्रदान किये गये या नवीकृत किये गये उसके लाइसेन्स को रद्द करने के लिए संसूचित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्स प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अपील कर सकता है।

सीधे विपणन के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाना/उसका नवीकरण किया जाना

33–ङ(1) धारा 7–ख के अधीन कृषक सहकारी, कृषक–उत्पादक संगठन, और प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सहित कोई व्यक्ति प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, मण्डी उप–स्थल, निजी मण्डी स्थल के बाहर सीधे कृषकों से कृषि उत्पाद क्रय करना चाहता हो, तो वह निदेशक, कृषि विपणन को यथास्थिति लाइसेंस प्रदान किये जाने अथवा उसका नवीकरण किये जाने के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भी लिए, जैसा कि विहित किया जाय, आवेदन करेगा।

(2) सीधे विपणन के लिए आवेदन पत्र के साथ ऐसा युक्तियुक्त लाइसेंस शुल्क और प्रतिभूति/बैंक प्रत्याभूति, जैसाकि विहित किया जाय, संलग्न किया जायेगा।

(3) लाइसेंस प्रदान किये जाने अथवा उसका नवीकरण किये जाने के लिए धारा 33–ङ के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र, धारा 33–ग(3) में यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तर्विष्ट कारण और रीति से स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन प्रदान किया गया या नवीकृत किया गया कोई सीधा विपणन लाइसेंस ऐसे निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन होगा, जैसाकि विहित किया जाय, और लाइसेंसधारी के लिए यथाविहित निबन्धन एवं शर्तो का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा। लाइसेंसधारी को इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का भी अनुपालन करना होगा।

सीधे विपणन लाइसेंस का निलम्बन या रद्दकरण किया जाना

33–च धारा 7–ख के उपबन्धों के अध्यधीन, लाइसेंस प्राधिकारी, जिसने लाइसेंस जारी किया हो, धारा घ में यथावश्यक परिवर्तन सहित कारण और रीति से धारा 33–ङ के अधीन प्रदान किये गये/नवीकृत किये गये लाइसेंसों को निलम्बित या रद्द कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्स प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अपील कर सकता है।"

धारा 37–क का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 37–क में उपधारा(1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(1) कोई मण्डी समिति या उसकी उपसमिति या समिति के किसी संकल्प द्वारा प्राप्त प्राधिकार से उसका सभापति किसी व्यक्ति से जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो या जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध करने का युक्ति युक्त सन्देह हो जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, उससे प्राप्त फीस या अन्य धनराशि के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली,1965 के नियम 66 के उपनियम(1) के परन्तुक में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार समतुल्य कृषि उत्पाद पर निर्धारित देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के योग के दस गुना धनराशि के बराबर अथवा रूपये दो लाख, जो भी कम हो, एवं अन्य अपराध के लिए बीस हजार रूपये से अनधिक धनराशि शमन फीस के रूप में स्वीकार कर सकता है तथा अपराध का शमन कर सकता है।"

उद्देश्य एवं कारण

कृषि उत्पाद के विक्रय और क्रय के विनियमन हेतु तथा तद्निमित्त उत्तर प्रदेश में मण्डियों की स्थापना, अधीक्षण और नियंत्रण हेतु उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) अधिनियमित किया गया है। कृषि विपणन के विकास, उनकी क्षमताओं तथा सम्भावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि बाजारीकरण, जो कि उपभोक्ताओं–उत्पादकों के मध्य का सूत्र है, को किसानों की आय बढ़ाने हेतु बहुविकल्पीय स्वरूप प्रदान किया जाय, जिससे किसान अपने उत्पादों को अपनी सुविधानुसार अपने समय तथा जगह को चुनते हुए अपनी शर्तों पर विक्रय कर सकें। इस प्रयोजनार्थ निजी मण्डियों की स्थापना, वेयरहाऊसों, साइलो एवं कोल्ड स्टोरेजों को मण्डी उप–स्थल घोषित कर बाजार के रूप में विकसित करना तथा किसानों से उनकी उपज सीधे क्रय किये जाने हेतु मण्डी स्थलों के बाहर संग्रह केन्द्रों की स्थापना के लिए प्राविधान किया जाना आवश्यक है।

राज्य की कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ अपने–अपने क्षेत्रों में व्यापारियों को व्यवसाय करने हेतु लाइसेन्स जारी करती हैं। राज्य के व्यापारियों द्वारा अधिकाधिक ई–व्यापार के माध्यम से किसानों से उनका उत्पाद क्रय किया जाय; इस प्रयोजनार्थ एकल लाइसेन्स प्रक्रिया को सरल किया जाना आवश्यक है, जिससे तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा होने के परिणामस्वरूप किसानों को उनके उत्पाद का अधिकाधिक युक्ति संगत मूल्य प्राप्त हो सके।

कृषि व्यापारियों को अपना व्यापार करने के दौरान विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह भी आवश्यक है कि ऐसे अवैध एवं अनियमित प्रथाओं, जिससे शुल्क–तन्त्र में प्रवंचना होती हो तथा न्यायसंगत व्यापारिक क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, पर अंकुश लगाया जाय। अतएव, युक्तियुक्त एवं प्रभावी प्रक्रिया के क्रियान्वयन में सहायता के लिए विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के अवैध संचरण के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय अन्य अपराधों हेतु शमन शुल्क का उपबन्ध किया जाना आवश्यक है।

अतएव विद्यमान मण्डी स्थलों के अतिरिक्त किसानों के कृषि उत्पाद के विक्रय हेतु बाजार के एक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराने, निजी मण्डियों की स्थापना करने, विशिष्ट जिन्स की मण्डी स्थापित करने, भाण्डागारों, शीतगृहों एवं साइलो को मण्डी उप–स्थल घोषित करने तथा किसानों से सीधे क्रय हेतु संग्रह केन्द्र स्थापित करने एवं उक्त प्रयोजनार्थ विनियमन हेतु उपबन्ध किये जाने के साथ–साथ मण्डी समितियों को वित्तीय स्वायतता प्रदान करने एवं समितियों में स्टेक होल्डर्स का प्रतिनिधित्व विहित करने व शमन का प्रभावी उपबन्ध करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव।

No. 813(2)/LXXIX-V–1–18-1(ka) 9-2018

Dated Lucknow, April 11, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 10, 2018.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

(U.P. ACT NO. 24 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty ninth Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.

Amendment of section 2 of U.P. Act no.25 of 1964

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, hereinafter referred to as the principal Act, -

(a) *after* clause (d-1), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(d-2) 'Cold Storage' in relation to market yard means cold storage declared as market sub-yard under section 7-A of this Act;"

(b) *after* clause (h), the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(h-1) 'Director Agricultural Marketing' means an officer, appointed by the State Government as Director Agricultural Marketing, to perform the powers and functions of the Director of Agricultural Marketing under this Act;

(h-1a) 'Direct Marketing' in relation to specified agricultural produce, means direct wholesale purchase of specified agricultural produce from the farmers by the processors, exporters, bulk buyers, *etc.* outside the principal market yard, sub-market yard, private market yard and market sub-yard;

(h-1b) 'Farmer Producer Organisation (FPO)' means an association of farmers, by whatever name/form it is called/exists, registered under any law for the time being in force, which is to mobilize farmers and build their capacity to collectively leverage their production and marketing strength."

(c) *after* clause (k-1), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(k-2) 'Market sub-yard' means warehouse/silos/cold storage or other such structure or place declared to be market sub-yard under section 7-A of this Act."

(d) *after* clause (m), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(m-1) 'Person' includes individual, a co-operative society, Hindu Undivided Family, a company or firm or an association or a body of individuals, whether incorporated or not."

(e) *after* clause (o-1), the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(o-2) 'Private Market Yard' means such place other than Principal Market Yard, Sub-Market Yard and Market-Sub Yard in the market area, where infrastructure has been developed and managed by a person for marketing of agricultural produce, holding a license for this purpose under this Act;

(o-3) 'Processor' in relation to agriculture produce means a person who under takes processing of any notified agricultural produce on his own accord or on payment of a charge."

(f) *after* clause (s), the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(s-1) 'Silo' means silo declared as market sub-yard under section 7-A of this Act;

(s-2) 'Special Commodity Market Yard' means a market yard as notified under section 7-C of this Act."

(g) *after* clause (t), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(t-1) 'State' means a State as specified in 1st Schedule of the Constitution of India."

(h) *after* clause (aa), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(aa-1) 'Warehouse' in relation to market yard means warehouse declared as market sub-yard under section 7-A of this Act."

Insertion of new section 2-A

3. *After* section 2 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :-

Marketing Freedom to Agriculturist/ Producer

"2-A. The agriculturist/producer may sell his produce according to his choice anywhere in or outside this State:

Provided that no market fee shall be collected for wholesale transition from agriculturist – seller:

Provided further that no market fee shall be levied or collected on the retail sale of any specified agricultural produce, where such sale is made by an agriculturist or a producer directly to the consumer for his domestic consumption."

Amendment of section 7

4. In section 7 of the principal Act in sub-section (2) *for* clause(b), the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(b) declare that the whole-sale transactions of all or any of the specified agricultural produce in respect of a market area shall be carried on only at a specified place or places within its principal market yard or sub-market yards :

Provided that the provision of this clause shall have no effect in the case of a private market yards and collection/ aggregation centers outside a principal market yard, sub-market yards, private market yards or market sub–yards, situated in such market area."

5. *After* section 7 of the principal Act the following sections shall be *inserted*, namely :- Insertion of new sections 7-A,7-B, 7-C and 7-D

"7-A (1) Save as otherwise provided in this Act, the State Government may, by notification declare such warehouse/ silo/ cold storage/ or other such structure or place with infrastructure and facilities as may be prescribed, to function as market sub-yard: Declaring warehouse/silo/ cold storage/or other such structure or places as market sub-yard

Provided that a place of retail trade shall not be declared as market sub- yard.

Explanation:– The expression 'place' mentioned in this sub-section shall include any structure, enclosure, open space, locality, street including warehouse/ silo/ cold storage/ pack house/ cleaning, grading & processing unit *etc.*

(2) The owner of a warehouse/silo/ cold storage, or other such structure or 'place,' as the case may be, desirous of declaration of such place as market sub-yard under sub-section (1), shall apply to the Director Agricultural Marketing or an officer authorized by him, in such form, in such manner with such fee and for such period but not less than three years, as may be prescribed.

(3) The owner of a warehouse/ silo/ cold storage or other structure or place, shall take license from the concerned market committee of said area and pay the applicable market fee on notified agricultural produce transacted at the declared market sub-yard, at the rate *ad valorem* and shall contribute such market fee to the market committee:

Provided that no market fee shall be collected from an agriculturist-seller.

7-B (1) Subject to such reasonable conditions and such fee as may be prescribed, the Director, Agricultural Marketing may grant a license to a person to establish Collection/ aggregation centers in the proximity of the production area with infrastructure, as may be prescribed in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder for marketing of notified agricultural produce : Direct marketing (wholesale direct purchase from farmers outside the market yard, sub-market yard, private market yard)

Provided that the direct wholesale purchase may be carried out outside the principal market yard, sub-market yards, market sub-yards, private market yards by declaring the place of such purchase, without establishment of any permanent collection/ aggregation centre, as may be prescribed.

(2) The direct marketing licensee shall maintain records and all accounts relating to daily trade transactions and submit monthly report, as may be prescribed, to the licensing authority.

(3) The licensing authority may seek any type of additional information from the direct marketing licensee, and may also inspect and issue directions relating to the functioning of such wholesale purchases and the activities incidental thereto.

(4) The direct marketing licensee shall pay market fee on transaction of sale of specified agricultural produce to the Uttar Pradesh State Marketing Development Fund maintained by the Board.

7-C (1) The State Government, where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, may, by notification declare existing market yard established under clause (b) of sub-section (2) of section 7 as Special Commodity Market Yard or may notify any new market yard as Special Commodity Market Yard of all or any of the specified agricultural produce in respect of a market area. Establishment and notification of 'Special Commodity Market Yard'

(2) Provisions for and in relation to the Market Committee of this Act shall *mutatis mutandis* apply to the Market Committee established for Special Commodity Market Yard.

Establishment of private market yard

7-D (1) Subject to such reasonable conditions and such fee as may be prescribed, the Director, Agricultural Marketing may grant a license to a person to establish a private market yard, for trading of notified agricultural produce .

(2) The private market yard licensee, or its management committee, may collect user charge on notified agricultural produce transacted in the private market yard, at the rate *ad valorem* not exceeding as notified by the State Government:

Provided that no user charge shall be collected from agriculturist-seller.

(3) The private market yard licensee shall contribute license fee and one-fourth of the user charge collection, to a separate fund maintained and operated by the Director, Agricultural Marketing. The Director, Agricultural Marketing shall utilise the fund, in skill development, training, research and such other activities, as will aid in creating an efficient marketing system in the State.''

Amendment of section 9

6. In section 9 of the principal Act in sub-section (1) *after* the existing proviso the following proviso shall be *inserted,* namely :

"Provided further that in case of direct purchase from farmers, to set up collection/ aggregation centers in the proximity of the production area and for the private market yard, Director, Agricultural Marketing shall be the Licensing Authority for that market area."

Amendment of section 9-A.

7. *For* section 9-A of the principal Act the following section shall be *substituted,* namely :-

"9-A. (1) Any Market Committee may grant unified license to purchase specified agricultural produce from the farmers and traders in such manner as may be prescribed, for one or more of the following purposes:-

(a) processing of specified agricultural produce;

(b) trading of specified agricultural produce;

(c) grading, packing and transaction in other way by value addition of specified agricultural produce.

(2) Market fee and development cess as provided in this Act, shall be payable on sale and purchase of specified agricultural produce to that market committee, where the specified agricultural produce is actually transacted.''

Amendment of section 13

8. *For* section 13 of the principal Act the following section shall be *substituted,* namely :-

"13.(1)- The Committee referred to in section 12 shall consist of the following members to be nominated by the State Government in such manner as may be prescribed:-

(a) nine representative of producers of the Market Area;

(b) two representative of traders carrying on business in the Market Area and holding license therefor under this Act;

(c) two representative of commission agents carrying on business in the Market Area and holding license therefor under this Act;

(d) two representative of palledar and measurer carrying on business in the Market Area and holding license therefor under this Act;

(e) Secretary of the Market Committee who shall be the member secretary.

(2) The members referred to in clause (a) of sub-section (1), who have sold notified agricultural produce in the market yards and obtained sale vouchers in Form VI of last three years from the committee, cumulatively highest in value, shall be eligible for nomination :

Provided that out of nine producer members, three members shall be from marginal farmers, three members from small farmers and three members from large farmers.

(3) Every committee shall have a Chairman and Vice-Chairman elected by the members referred to in clauses (a) to (d) of sub-section (1) in such manner as may be prescribed :

Provided that the Chairman and Vice-Chairman shall be the member referred in clause (a) of sub-section (1).

(4) (a) The term of the committee constituted under sub-section (1) shall be three years from the date of publication of the constitution of the committee, if not terminated earlier by the State Government.

(b) The term of the office of the Chairman, the Vice-Chairman and the members shall be Co-terminus with the committee.

(5) The name of the every member nominated under sub-section (1) shall be registered with the Director within 21 days of the nomination thereof.

(6) No proceeding, or act done by or on behalf of the committee shall be questioned on the ground for want to any qualification, or defect in the nomination, of any person a Chairman, Vice-Chairman or member of the committee, or on the ground of any vacancy, or any other defect in the Constitution of the Committee."

Amendment of section 17

9. In section 17 of the principal Act, in clause (iii) in sub-clause (b), *for* the words "not more than two and half percentum" the words "not more than two percentum" shall be *substituted*.

Amendment of section 19

10. In section 19 of the principal Act, *for* sub-section (5) the following sub-section shall be *substituted*, namely :-

"(5)Every committee shall, out of its total receipts excluding moneys raised under clause (v) of section 17, money realised as development cess and grants made by the State or Central Government in the financial year, keep only fifty per cent or rupees ten crore, whichever is less and transfer the remaining amount to the Board as contribution."

Insertion of new sections 33-C, 33-D, 33-E and 33-F

11. *After* section 33-B of the principal Act the following sections shall be *inserted*, namely :-

Grant/Renewal of license for private market yard

"33-C. (1) Any person who, desires to establish private market yard under section 7-D shall apply to the Director, Agricultural Marketing or the Officer authorized by him for grant or renewal of license, as the case may be, in such form and in such manner; and also for such period but not less than three years, as may be prescribed.

(2) An application for grant or renewal of license, as the case may be, for private market yard, shall be accompanied with such reasonable license fee and security/ bank guarantee, as may be prescribed.

(3) An Application received under sub-section (1) for grant or renewal of license may be accepted or rejected for the reasons recorded in writing by the Licensing Authority :

Provided that the application received under this section shall be liable to be rejected on the condition(s),-

(a) that, the applicant is a minor not under custodian or not *bona fide*;

(b) that, the applicant has been declared defaulter under the Act and Rules and Bye-laws made there under;

(c) that, any dues relating to Market Committee and/or Board and/or department/directorate of agricultural marketing are outstanding against the applicant;

(d) that, the concerned authority is satisfied that the applicant does not possess the infrastructure credentials, experience or adequate capital for investment or any other requirements as may be prescribed for establishment of a private market yard ; and/ or

(e) for any other reasons, as may be prescribed.

(4) The license granted or renewed under this section shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed; and the licensee shall be bound to follow the terms and conditions of the license as prescribed. The licensee shall also follow the provisions of this Act and Rules made thereunder''.

Suspension or Cancellation of license granted /renewed under section 33-C

33-D.(1) Subject to the provisions of section 33-C, the Licensing Authority, as the case may be, may suspend or for the reasons to be communicated to the license holder in writing and giving reasonable opportunity of hearing, cancel the license, if;

(a) the license has been obtained through willful misrepresentation or fraud; and/or

(b) the holder of license or its representative or anyone acting on his behalf with his expressed or implied permission, commits a breach of any of the Rules, regulations and terms or conditions of license; and/or

(c) the holder of license himself or in combination with other license holder commits any act or abstains from carrying on his normal business in the market area with the intention of willfully obstructing, suspending or stopping the marketing of notified agricultural produce; and/ or

(d) the holder of the license has become insolvent; and/or

(e) the holder of the license incurs any disqualification, as may be prescribed; and/or

(f) the holder of the license is convicted of any offence under this Act.

(2) No license shall be cancelled under this section without giving a reasonable opportunity of being heard to its holder.

(3) Subject to the provisions of section 33-D, the Licensing Authority shall communicate to the license holder by speaking order to cancel its license granted or renewal under section 33-C :

Provided that any person aggrieved by an order of the licensing authority may prefer an appeal to the State Government in such manner as may be prescribed.

Grant/ Renewal of license for direct marketing

33-E. (1) Any person, including a Farmers' Cooperative, Farmers Producer Organisation (FPO) and Processor/ Exporter, under section 7-B, desires to purchase agricultural produce directly from farmers outside the principal market yard, sub- market yard, market sub-yard, private market yard, shall apply to the Director, Agricultural Marketing for grant or renewal of license, as the case may be, in such form and in such manner; and also for such period , as may be prescribed.

(2) An application for direct marketing shall accompany such reasonable license fee and security/ bank guarantee, as may be prescribed.

(3) The application received under Section 33-E for grant or renewal of license may be accepted or rejected in the cause and manner *mutatis mutandis* to Section 33-C (3).

(4) A direct marketing license granted or renewed under this Section shall be subject to such terms and conditions, as may be prescribed; and the licensee shall be bound to follow the terms and conditions of the license as prescribed. The licensee shall also follow the provisions of this Act and Rules made thereunder.

Suspension or Cancellation of direct marketing license

33-F. Subject to the provisions of section 7-B, the Licensing Authority, who has issued the license, may suspend or cancel the license granted/ renewed under section 33-E in the cause and manner *mutatis mutandis* to section 33-D :

Provided that any person aggrieved by an order of the licensing authority may prefer an appeal to the State Government in such manner as may be prescribed."

Amendment of section 37-A

12. In section 37-A of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted,* namely :-

"(1) A market committee or its sub-committee or with the authorization by a resolution of a committee, its Chairman, may accept from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence punishable under this Act in addition to the fee or other amount recoverable from him, a sum of money equal to ten times the sum of market fee and development cess assessed due on the equivalent agricultural produce in accordance with the explanation given in the proviso to sub-rule (1) of Rule 66 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamavali, 1965 or Rupees Two Lakh, whichever is less and for other offence, a sum of money not exceeding rupees twenty thousand by way of composition fee and compound the offence."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) has been enacted to provide for the regulation of sale and purchase of agricultural produce and for the establishment, superintendence and control of markets therefor in Uttar Pradesh. For the development of agricultural marketing and to develop completely their capacities and potentialities, it is highly required that the marketing which is of link among the consumers and producers, should be multidimensional formed for the enhancement of the income of the farmers, so that the farmers could be able to sale their produce according to their own selection and conditions at their times and places. For this purpose it is necessary to make provisions for the establishment of private market yards, development of warehouses, silo and cold storages in the form of markets by declaring them as market sub-yards and the establishment of collection centres outside the market yards to be purchased directly from the produce of farmers.

Agricultural Produce Market Committees of the State issue Licences to their traders in their respective regions for business. The produce of the farmers should be purchased more and more by the traders of the State through e- trade; for this purpose it is required to ease the process of single licence so that the farmers could be able to receive more and more relevant prices for their produce as a result of comparatively more competitions.

In orders to encourage agriculture traders to follow prescribed rules and procedures while carrying out their trade, it is also necessary to constrain illegal and irregular practices that circumvent the fee-net and adversely affect fair trade practices. Therefore in order to aid implementation of reasonable and effective procedure, it is required to make provision of composition fee for other punishable offence under the said Act in addition to illegal movement of specified agricultural produces.

It has therefore been decided to amend the aforesaid Act to provide more than one option of market for the sale of agricultural produce of the farmers in addition to the existing market yards, to establish private market yards, to establish special commodity market yards, to declare the warehouses, cold storages and silo as market sub-yards and to establish collection centres for the direct purchase through farmers and to make provision for the regulation of the said purpose together with providing financial autonomy to the market committees and prescribing the representation of stake holders in the committees and making effective provision of composition.

The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi(sanshodhan) Vidheyak, 2018 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 16 राजपत्र–2018–(39)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 6 सा0 विधायी–12–4–2018–(40)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

16_RPH_2018_adhiniyam 24